RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
OFFICE OF THE CHIEF PRODUCTION MANAGER CWS
Ajmer , Makhupura
Mobile No.09549456734 Email:-rsrtc.cwsajm@yahoo.com

NIB NO. RSRTC/ CWS /CPM/AJM/2025-26/71 **Date:** 19/2/25

NOTICE INVITING BID

tender invited for Reconditioning of following works given below: -

S. No	Group of Work	Eligibility of firms	Estimated value of Work Rs.	Cost of tender Documents including GST (not refundable) Rs.	Bid Security Rs.	Pre-bid meeting date and Last date of tender submission Opening date of Technical bid.
1	Rewinding of electrical assemblies	Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and as per tender t&c	397000/-	1180/-	7940/-	19.03.2025 13.00 Hrs 26.03.2025 16.00 Hrs. 27.03.2025 10.00 AM

If any holiday comes on above dates then next working date will be treated for the same.NOTE:-

1. The detailed notification/tender documents can be downloaded from website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also **https://sppp.raj.nic.in**
2. Corrigendum's/modifications/correctionsif any will be published on the website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also **https://sppp.raj.nic.in**
3. Conditional / incomplete tender will be rejected.
4. Bidders shall submit their offer offline in both **technical** and **financial proposal** in **Separate Envelopes**,Demand Draft for Tender Fees and bid security should be submitted manually or through courier in the office of Chief Production Manager, CWS ,Ajmer before last date . any document received afterlast date shall not be entertained .
5. The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning reasonsthereof. The quantity of works can be increased or decreased without assigning any reasons.
6. RSRTC reserves the right for verification of any information / documents furnished by the bidder in the interestof the corporation.
7. Bid security in the shape of demand draft payable to CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER should be submitted before opening of bid.
8. Tender fee in the shape of demand draft payable to CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER should be submitted beforeopening of bid.
9. Before submitting the tenders it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract aresigned by the tendered.

Tender documents can be downloaded from online website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** also **https://sppp.raj.nic.in**

If Tendered wish to participate in the tender then they have to make a payment of tender document fee, bid security which is mentioned in the above table be submitted to RSRTC in the form DD in favour of CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER for tender document fee and in favour of "CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER" payable at "AJMER "for bid security and be delivered to the under signed one day before last date and time of the submission of the tender.

For further details you can visit online website **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc**
Also **https://sppp.raj.nic.in** or from office of chief production manager RSRTC, CWS Ajmer

Chief Production
ManagerCWS ,Ajmer

<u>तकनिकी निविदा आवेदन</u>

(Technical Bid Application)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,केन्द्रीय कार्यशाला , अजमेर

क्रमांक :— दिनांकः

मुख्य उत्पादन प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम,
केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर,

विषयः— राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में जॉब बैसिस वर्क इलेक्ट्रीकल पार्टस रिपेयर कार्य करने बाबत्।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला मे इलेक्ट्रीकल पार्टस रिपेयर कार्य सम्बंधित कार्य जॉब बैसिस पर कार्य करवाने के सम्बंध में लोकप्रिय समाचार पत्र ....दिनांक ....में व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली प्रपत्र की फीस राशि जीएसटी सहित 1180 ⁄— (नान रिफण्डेबल) रसीद संख्या ....दिनांक ....

<u>सामान्य विवरण</u>

1	फर्म का नाम	
2	फर्म का स्थाई पता	
3	फर्म का दूरभाष न. ⁄ मोबाईल न. ⁄ ई—मेल	
4	फर्म का पत्र व्यवहार का पता	
5	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर	
6	फर्म का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	फर्म द्वारा फार्म हेतु निगम कोष (मुख्य उत्पादन प्रबंधक , केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर) में जमा करायी राशि जीएसटी सहित 1180 ⁄— रुपये कि रसीद ⁄ डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	डी.डी. नम्बर व दिनांक निविदा सुरक्षा राशि 7940 ⁄— (CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER)	

1. कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है:–

क्र. स.	कार्य का नाम	जॉब कि प्रतिवर्ष कुल अनुमानित संख्या	निविदा कि अनुमानित लागत
	इलेक्ट्रीकल पार्टस रिपेयर कार्य (निम्न रिपेयर कार्य हेतु असेम्बली निगम द्वारा प्रदान कि जायेगी जिसे रिवांइड करके देना होगा)		
1	सेल्फ/आर्मेचर रिवांइडींग	300	204000
2	रोटर रिवाइंडीग	216	146880
3	स्टेटर रिवाइंडींग	80	46800
			342516

2. पात्रता व मूलयाकंन मापदण्ड (Eligibility and Evaluation Criteria)

(i) सेवा प्रदाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड (Eligibility criteria for service provider)

सेवा प्रदाता का वार्षिक टर्नओवर इस निविदा की लागत के बराबर या अधिक होना चाहिए एंव जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा सेवाप्रदाता के पास सम्बंधित निविदा में कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का उचित अनुभव होना चाहिए।

(ii) मूल्याकंन मापदण्ड (Evaluation Criteria)

वितीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्याकंन का मापदण्ड होगी।

3. निविदादाताओ को निर्देश (Instruction to bidder)

(I) प्री–बिड मिटींग (Pre bid Meeting)

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्री–बिड मिटींग का आयोजन केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर में किया जावेगा । प्री–बिड मिटींग में शामिल होने वाली फर्म को टेण्डर फीस रुपये 1180 नगद जमा की रसीद साथ लेकर आना होगा । बिना टेण्डर फीस के प्री–बिड मिटींग में शामिल नही किया जावेगा।

(II) निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)

सफल निविदा दाता को टेण्डर की अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा राशि के रुप में निम्नानुसार जमा करानी होगी

(i). डी.डी. (CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER)

(ii). बैक गारण्टी

सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के पश्चात लोटाई जावेगी। सुरक्षा राशी पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(iii). यदि फर्म द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारभं/अनुबधं नही किया जाता है। तो बिड सुऱक्षा राशि/ निष्पादन सुरक्षा राशि (जो भी लागु हो) जब्त कर ली जावेगी।

(III) निविदा सुरक्षा (Bid Security)

निविदादाताओ को टेण्डर की अनुमानित कीमत का 2 प्रतिशत राशि निविदा सुरक्षा के रुप मे निम्नानुसार जमा करानी होगी।

(i). डी.डी. (CHIEF PRODUCTION MANAGER RSRTC CWS AJMER)

(ii). .बैक गारण्टी

निविदा सुरक्षा ,टेण्डर आमंत्रित करने के 120 दिवस या अनुबंध पत्र जारी के बाद लोटाई जावेगी। निविदा सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल निविदादाता/ अनुबंधकर्ता द्वारा डी.डी. द्वारा जमा कराई गई निविदा सुरक्षा (Bid Security) को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) मे भी समायोजित की जा सकती है।

(IV) Code of Integrity

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(V) Conflict of Interest

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(VI) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)

आर.टी.पी.पी. एक्ट मे के प्रावधानो व वर्णित नियमो के अनुसार

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम कार्यकारी निदेशक (यात्रिंक)

(ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम प्रबंध निदेशक

4. गारन्टी (Guarantee)

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये आर.सी. सम्बंधी कार्य की निम्नानुसार गारन्टी होगी

क्र.स.	कार्य का नाम	गारंटी
	इलेक्ट्रीकल पार्टस रिपेयर कार्य	
1	सेल्फ/आर्मेचर रिवांइडींग	छः माह अवधि अथवा 20,000 कि.मी. (जो भी पहले हो)
2	रोटर रिवाइंडीग	छः माह अवधि अथवा 20,000 कि.मी. (जो भी पहले हो)
3	स्टेटर रिवाइंडींग	छः माह अवधि अथवा 20,000 कि.मी. (जो भी पहले हो)

5. मध्यस्थता उप नियम **(Arbitration Clause)**

1. निगम बोर्ड के सकंल्प 28/17 दिनांक 16.08.2017 के अनुसार इस अनुबंध के सम्बंध मे किसी भी विवाद की स्थिति में मामला प्रारंभिक स्तर पर निगम की स्थाई समिती को अग्रेशित किया जावेगा जो कि निम्नानुसार हैः–

1. अध्यक्षएवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक	अध्य़क्ष
2. वितिय सलाहकार	
3. सम्बधित विभागाध्यक्ष	
4. कार्यकारी निदेशक (विधि)	
5. सम्बंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी	सदस्य सचिव

सम्बंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी दावा याचिका प्राप्त होने पर दावा राशि की 2 प्रतिशत राशि शुल्क के रुप में दावेदार से प्राप्त कर दावा स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगे स्थाई समिति दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दावा एवं दस्तावेजो के आधार पर निर्णय लेगी जो कि दोनो पक्षो को समिति के सदस्य सचिव द्वारा अवगत करा दिया जावेगा।

2. मध्यस्थता व समझौता अधिनियम 1996 व इसके संशोधन मे वर्णित नियम व प्रावधान अनुसार (as as per Indian arbitration and conciliation act of 1996 or latest amendment if any)

3. सभी न्यायिक प्रक्रिया यदि आवश्यक हो , का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

6. जोखिम क्रय उप नियम **(Risk Purchase Clause)**

यदि अनुबंधकर्ता द्वारा उपरोक्त आर.सी. सम्बंधी कार्य निर्धारित समयावधि में या निगम की मांग के अनुसार नही करता है एव निगम को अपना कार्य सुचारु रुप से चलाने हेतु यदि किसी अन्य फर्म से उक्त कार्य करवाना पडे तो अन्तर राशि की कटौती उसके बकाया भुगतान या सुरक्षा राशि से कर ली जावेगी

7. भुगतान **(Payment)**

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये आर.सी. सम्बंधी कार्य के बदले भुगतान 60 कार्य दिवस में किया जावेगा। इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

8. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने है।

(i) MANDATORY DOCUMENTS

1. टेण्डर फीस की डी.डी.
2. अमानत राशि की डी.डी. व बैंक गारण्टी
3. प्रोसेसिंग फीस की डी.डी.

(ii) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्ते (हस्ताक्षरित)
2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रपत्र(प्रतिलिपि)
3. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
4. दिवालियापन न होने का घोषणा पत्र
5. ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र
6. आर.टी.पी.पी. एक्ट के भाग 7 एवं 11 का घोषणा पत्र
7. नवीनतम वार्षिक बेलेसंशीट या वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र (सी.ए.द्वारा प्रमाणित)

9. तकनिकी निविदा के स्वीकार होने पर ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी।

नियम एवं शर्ते

इलेक्ट्रीकल पार्टय रिपेयर कार्य जॉब बैसिस वर्क पर तैयार करने हेतु निविदा की शर्ते निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर, जोधपुर व अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशालाओ इलेक्ट्रीकल पार्टय रिपेयर कार्य आवेदन पत्र आमत्रिंत किये जाते है। जिन जॉब कार्य हेतु निविदाए आमत्रिंत कि जानी है वे निम्नवत है :–

   कार्य का नाम :–

   (1) इलेक्ट्रीकल पार्टय रिपेयर कार्य.

सेल्फ / आर्मेचर रिवांइडींग
रोटर रिवाइंडीग
स्टेटर रिवाइंडींग

2. निविदा के समस्त कार्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि अजमेर की केन्द्रीय कार्यशाला में आवश्यकतानुसार करवाया जाना है।

   परन्तु उस वर्ग से सम्बंधित सभी कार्य सम्पादित करने होगें उदाहरणार्थ उक्त निविदा में अनुबन्ध कर्ता को सेल्फ / आर्मेचर रिवांइडींग, फील्ड कॉयल रिवाइंडींग, अल्टरनेटर स्टेटर रिवाइंडीग , सभी को ही रिवाइंड कर देना होगा। वर्ग के किसी एक कार्य हेतु निविदा स्वीकार नही कि जावेगी। निविदादाता को निम्नानुसार विभिन्न जॉब कार्य सपांदित करके देने होगें।

(प) **इलेक्ट्रीकल पार्टस रिपेयर कार्य**

   निविदा दाता को टाटा, लिलेण्ड व आयसर वाहनो के सेल्फ स्टाटर व अल्टरनेटर असेम्बली के विभिन्न पार्टस फील्ड कोयल, अल्टरनेटर स्टेटर, सेल्फ आर्मेचर आदि कि रिवाईडिंग कर देना होगा।

   सफल निविदादाता का चुनाव उस निविदा के सभी भागो कि प्राप्त दरो के योग के उपरान्त तुलना कर किया जायेगा उदाहराणर्थ उक्त निविदा में अनुबन्धकर्ता को सेल्फ / आर्मेचर रिवांइडींग, फील्ड कॉयल रिवाइंडींग, अल्टरनेटर स्टेटर रिवाइंडीग , सभी कार्यो की दरे देनी होगी व उन दोनो कि प्राप्त दरो के योग उपरान्त न्यूनतम दर वाली फर्म का अनुबन्ध हेतु चुनाव किया जावेगा।

3. दितीय पक्षकार को जॉब बैसिस के सम्पूर्ण कार्य सम्बंधित केन्द्रीय कार्यशाला परिसर मे केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि कि देख रेख मे एवं निर्देशानुसार निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सम्पादित करना होगा। परन्तु आवश्यक होने पर सम्बंधित उत्पादन प्रबधक कि स्वीकृति उपरान्त केन्द्रीय कार्यशाला परिसर से बाहर संपादित किये जा सकेगें।

4. द्वितीय पक्षकार को निगम द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु औजार एवं अन्य आवश्यक संसाधन अपने कामगारो को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होगें।

5. निगम द्वारा केवल पुरानी एसेम्बली उपलब्ध करवायी जायेंगी एवं पुरानी असेम्बली को तैयार करने हेतु समस्त सामान की व्यवस्था द्वितीय पक्षकार द्वारा स्वंय के स्तर पर की जावेगी। द्वितीय पक्षकार द्वारा इन्हे स्वीकृत समय मे रिवाइंड कर देना होगा। कार्य मे लगने वाले संभावित समय का निर्धारण केन्द्रीय कार्यशाला समिती द्वारा किया जायेगा।

6. अनुबन्धकर्ता को जॉब बैसिस के विभिन्न कार्य से जुडे समस्त आवश्यक उपकरण व ओजार,टेस्ट बैंच इत्यादि रखने होगे।साथ ही आवश्यकतानुसार सभी विशेष उपकरण मशीने इत्यादि जो आवश्यक है स्वंय के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी, साथ ही समस्त मशीन कार्य भी स्वंय के स्तर पर केन्द्रीय कार्यशालाओ में अथवा उत्पादन प्रबधंक के निर्देशानुसार स्थानीय बाजार से करवाने होगें।

7. कार्य के दौरान मशीनरी/पार्टस को लोड/अनलोड करने का कार्य द्वितीय पक्षकार को स्वंय के स्तर पर ही करना होगा।

8. फिल्ड कॉइल की रिवाईडिग करते समय थर्मोस्टेट आवश्यक रुप से लगायेगे ।

9. अनुबन्धकर्ता को अपने प्रस्ताव के साथ निर्धारित कि.मी. गारंटी/अवधि गारंटी सलग्न सूची अनुसार अकिंत करनी होगी, उक्त गारंटी से पहले कोई मरम्मत अथवा असेम्बली फेल होती है तो अनुबन्ध कर्ता को इसे पुनः निःशुल्क (Free of cost) रिपेयर करके देना होगा। बार–बार फेल होने पर सम्बधित केन्द्रीय कार्यशाला समिती को कार्यादेश रदद् करने का अधिकार होगा।

10. तैयार किये गये जॉब कि गारंटी अवधि से पूर्व फेल होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता की उपस्थिति में कार्यशाला समिति के द्वारा सामुहिक निरिक्षण कर रिर्पोट तैयार की जावेगी तदनुसार गारंटी के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा जो कि अतिंम रुप से दोनो पक्षो को मान्य होगा। कार्यशाला समिति में निम्न सदस्य शामिल रहेगे :–

   (i) उत्पादन प्रबंधक
   (ii) कनिष्ठ अभियंता /ग्रुप प्रभारी

11. अनुबन्धकर्ता द्वारा केन्द्रीय कार्यशाला परिसर में कार्य का सम्पादन किये जाने की स्थिति में , पुरानी ऐसेम्बली को शाखा प्रभारी व ग्रुप प्रभारी के समक्ष डिसमेन्टल किया जायेगा डिसमेन्टल करने के उपरान्त उक्त प्रभारियो की उपस्थिती मे निरिक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी। जिसमे चेन्ज किये जाने वाले सभी स्पेयर का इन्द्राज होगा व सभी माइनर ऐसेम्बलीयो की कंडीसन का भी इन्द्राज होगा। प्रभारियो की सहमति के पश्चात ही आवश्यकतानुसार आर. सी. करवाया जायेगा व उपरोक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ही भण्डार से सामान जारी किया जायेगा।

12. अनुबन्ध कर्ता को कार्य समाप्ती पर सभी प्रकार की अनावश्यक स्पेयर ,कचरा ,उपकरण इत्यादी को हटाकर निधारित स्थान पर डालना होगा व कार्यस्थल को सही स्थिती मे रखना होगा।

13. किसी भी निविदा का बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

14. अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जावेगी।

15. सफल निविदा कर्ता को सहमति–पत्र जारी होने के 15 दिवस मे निर्धारित प्रर्फार्मा मे कार्य अनुबंध करना होगा।

16. कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस के भीतर दिये गये शिड्यूल के अनुसार कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा बिड सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल तकनीकी कर्मचारी सदव्यवहारी एवं ईमानदार होगे तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्ण उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाल कर्मचारी द्वारा कियी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस सम्बंध मे नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त सम्बंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पडती है तो उसकी वसूली सम्बंधित फर्म से की जावेगी।

18. अनुबंधकर्ता फर्म के द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने तथा आवटिंत मेन्टीनेंस कार्य सन्तोषप्रद न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त करते हुये प्रतिभुत राशि जब्त की जा सकती है।

19. कार्य के दौरान हुई किसी भी सामान की टूट फुट की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी एवं कार्य के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना में द्वितीय पक्षकार के आदमी को हुई हानि/चौट के लिये द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा। निगम किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उतरदायी नही होगा।

20. अनुबन्धकर्ता को आवंटित कार्य में लगने वाले अधिकतम समय का निर्धारण कार्यशाला समिति द्वारा (जिसमे अनुबन्धकर्ता का प्रतिनिधि भी शामिल होगा) कार्य प्रारभ करने से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जावेगा। जिससे अनुबन्धकर्ता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही अवगत करा दिया जावेगा । आवंटित समय से अधिक समय लगने पर शास्ति राशि वसूल की जावेगी ।

21. अनुबंध कर्ता द्वारा यदि कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक किन्ही कारणो से उपलब्ध नही कराये जाते है एवं इससे उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है तो अनुबंध कर्ता से देरी से किये गये कार्य की लागत का , निर्धारित (आवंटित) अवधि के 50प्रतिशत तक की देरी के लिए 5 प्रतिशत, निर्धारित अवधि के 51 से 100 प्रतिशत तक की देरी के लिए 10 प्रतिशत , इसके पश्चात आवंटित समय के हर 100 प्रतिशत या उसके किसी भी भाग की देरी के लिए 10 प्रतिशत की दर से शास्ति राशि वसूल की जावेगी एवं इस सबंध मे किसी भी विवाद को केन्द्रीय कार्यशाला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिसका निर्णय अतिंम एवं सर्वमान्य होगा।

22. द्वितीय पक्षकार एवं कामगारो को कार्यशाला समय में ही कार्य करना होगा एवं कार्यशाला सुरक्षा मापदंडो व नियमो का पालन करते हुऐ पूर्ण अनुशासन से कार्य करना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा निविदा से सम्बंधित कार्य किसी को सब्लेट नही किया जा सकेगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कि जा सकेगी।

23. द्वितीय पक्षकार के अपने पेन कार्ड, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन न0 ,भविष्य निधि व कर्मचारी बीमा रजिस्टेशन एवं श्रम अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होगे । यदि कोई प्रपत्र अथवा पंजीयन सम्बन्धित द्वितीय पक्षकार के दायित्व में नही हो तो इसके लिए द्वितीय पक्षकार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

24. द्वितीय पक्षकार अपने अधीन कार्यरत कामगारो को देय भुगतान मे से नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा राशि काट कर सम्बधित विभाग में जमा करायेगे एवं इसके जमा कराने का चालान इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। यदि द्वितीय पक्षकार अपने स्तर से जमा कराने की कार्यवाही नही करता है तो द्वितीय पक्षकार अपने कर्मचारियो को देय भुगतान पर नियमानुसार भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि की गणना कर उसकी अनुसूची अपने बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। निगम उसकी अनुसूची के अनुरूप भविष्य निधी एवं राज्य कर्मचारी बीमा की राशि द्वितीय पक्षकार के भुगतान से काट कर सम्बन्धित विभाग में जमा करायेगा।

25. निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त कार्य अस्थाई है एवं आवश्यकतानुसार करवाये जाने है। द्वितीय पक्षकार कार्य आवंटन की मात्रा के लिए रापनि को बाध्य नही कर पायेगें, एवं उसके कामगाारो को निगम में स्थाईसेवा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा का अधिकार देय नही होगा। सफल निविदादाता / द्वितीय पक्षकार को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारीयो को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भूगतान करना होगा एंव निर्धारित आयु से कम आयु का कोई कर्मचारी नही रखना होगा।उक्त नियमो की अवहेलना की स्थिति मे समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा।

26. द्वितीय पक्षकार को अपने अधीन कार्यरत कामगारो को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसमें कोई शिथिलता होने पर द्वितीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होगा।
27. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य में लापरवाही करने पर यथा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही करवाने , अपेक्षित समय सीमा में कार्य सम्पादिंत नही करने एवं नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अवाश्यक कार्यवाही हेतु स्वंय/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति नही दिये जाने की दशा में निगम द्वारा द्वितीय पक्षकार को 15 दिवस की अवधि के भीतर अधिकतम दो नोटिस उचित माध्यम से प्रेषित किये जावेगे । तत्पश्चात भी कार्य हेतु उपस्थित नही होने की दशा में निविदा अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करते हुऐ सूरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

28. दितीय पक्षकार को देय भुगतान मे ंसे नियमानुसार समस्त करो की कटौती की जायेगी।
29. द्वितीय पक्षकार को नियमानुसार प्रतिभुति राशि जमा करानी होगी। जिसे गारन्टी अवधि समाप्ति के 60 कार्य दिवस के उपरान्त लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
30. निविदा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य होगा परन्तु द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर प्रतिभुति राशि जब्त कर ली जायेगी।
31. भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करने होगे। जिनके प्रमाणिकरण उपरान्त ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
32. किसी विशेष परिस्थिती के कारण कार्य निलंबित रहने के कारण अनुबन्धकर्ता को यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
33. आवश्यक होने पर कार्य की मात्रा को आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार बढाया जा सकेगा।
34. टेंडर के सम्बंध मे किसी भी प्रकार के विवाद के लिए बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

35. अनुबंध के सबंघ मे न्यायलय का क्षेत्राधिकार उस केन्द्रीय कार्यशाला से सम्बंधित जिले का होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर